उत्तराखंड उच्च न्यायालय,

नैनीताल

रिट याचिका संख्या : 1662/2021 (एस/एस)

राजन सिंह गुसाईं ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित :

श्री दिनेश गहातोडी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री राकेश कुंवर, उत्तराखंड राज्य/प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री ललित सामंत, प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए अधिवक्ता।

आदेश की तिथि : 20. 10. 2022

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी,

याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 02.08.2019 को जारी एक विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III (पोस्ट कोड 132) के पद के लिए चयन में भाग लिया। उक्त विज्ञापन द्वारा, उक्त पद पर 280 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था, यद्यपि 16.12.2020 को जारी एक शुद्धिपत्र द्वारा, रिक्तियों की संख्या घटाकर 150 कर दी गई थी, जिसमें से 15 रिक्तियां " आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए आरक्षित थीं।

2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन में, याचिकाकर्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवार को उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा किया, यद्यपि वह इस तरह के आरक्षण का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। चयन का परिणाम 19.12.2020

को घोषित किया गया था और याचिकाकर्ता को 82% अंकों के साथ संबंधित पद के लिए समग्र योग्यता सूची में क्रम संख्या 3 पर रखा गया था।

3. चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित सामंत ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया था और उसने सभी सफल उम्मीदवारों में तीसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया था।

4. याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था.

5. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी हैः

> "(i) दिनांक 2.8.2019 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करने के लिए प्रत्यर्थी नंबर 3 को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, चूंकि याचिकाकर्ता सामान्य/अनारक्षित/खुली श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और नुकसान का सामना करना पड़ेगा.
>
> (ii) सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए प्रत्यर्थी नंबर 2 को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।
>
> (iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह

माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।

(iv) रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णीत करें.

6. चयन निकाय का जवाबी शपथ पत्र में लिया गया रुख यह है कि क्योंकि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए उसे प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, याचिकाकर्ता का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। नतीजतन, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। यद्यपि जिस आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी, उसे अभिलेख पर नहीं लाया गया है। जब चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उन्हे ऐसे किसी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

7. एकमात्र प्रश्न, जो इस रिट याचिका में विचार के लिए आता है, यह है कि क्या सार्वजनिक रोजगार में ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को ऐसे आरक्षण के लिए अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण अनारक्षित पद पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।

8. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा करने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर है और उसने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया, जैसा कि किसी अन्य

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा देय है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को उपलब्ध कोई रियायत नहीं दी गई थी।

9. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि E.W.S प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न करने के कारण उसकी उम्मीदवारी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, और वह एक अनारक्षित पद के विरुद्ध या खुली श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक उम्मीदवार, जो किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है, वह अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचार किए जाने का हकदार है, जिसे 'खुली श्रेणी' के रूप में भी जाना जाता है अग्रेतर उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।

10. यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क में बल पाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2021) 4 एससीसी 542 में रिपोर्ट किया है कि खुली श्रेणी एक 'कोटा' नहीं है जिसका अर्थ किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है, बल्कि यह सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। उक्त निर्णय का पैरा संख्या 66 नीचे उद्धृत किया गया हैः

> **"66**. मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह के आरक्षण सार्वजनिक सेवाओं में अभ्यावेदन सुनिश्चित करने का तरीका है।इन्हें कठोर स्लॉट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुले सामान्य वर्ग में दिखाने के लिए हकदार बनाती है, यदि राज्य के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो परिणाम के रूप में प्रतिबंधित कर दी

जाएगी।ऐसा करने से एक साम्प्रदायिक आरक्षण पैदा होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी को उनके आरक्षण सीमा के भीतर सीमित कर दिया जाएगा, इस प्रकार यह योग्यता को नकारता है।खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें एक उम्मीदवार के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही उसे या उसके लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उपलब्ध हो। "

11. राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 754 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में ओ. बी. सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण करने में विलम्ब के कारण कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध विरुद्ध अपने आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए चयनित निकाय को निर्देश देते हुए उनकी रिट याचिका का निपटारा कर दिया। यद्यपि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 18 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"18. हमारे विचार में , पुष्पा में दिया गया निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति के अनुरूप है, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है।उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इन्द्रा साहनी और वालसम्मा पॉल [वालसम्मा पॉल] में इस न्यायालय के संविधान पीठों द्वारा निर्धारित प्रश्न पर बाध्यकारी पूर्व निर्णय पर ध्यान दिए बिना

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलट दिया, जिसमें इस न्यायालय ने राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14,15,16 और 39-ए की व्याख्या के पश्चात यह निर्णय दिया कि समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार में असमानता को दूर करना है, क्योंकि इन श्रेणियों के उम्मीदवार सदियों से उत्पीड़न और अवसर से वंचित रहने के परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39-ए में परिकल्पित आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की अवधारणा को प्राप्त करना है। इस प्रकार, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पलट कर त्रुटि की।इसलिए, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 562/2011 में खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश न मात्र त्रुटिपूर्ण है, बल्कि कानून की त्रुटि से भी ग्रस्त है क्योंकि यह इंद्रसाहनी और वालसम्मा पॉल में इस न्यायालय के निर्णयों के बाध्यकारी पूर्वानुमान का पालन करने में विफल रहा है।उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश [दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाम राम कुमार गिजरोया] को अपास्त किया जा सकता है और तदनुसार अपास्त किया जा सकता है।राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली

सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), आदेश दिनांक 24-11-2010 (दिल्ली)] वाले मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24-11-2010 को पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है।

12. रिट याचिका के पैराग्राफ 7 में याचिकाकर्ता ने कहा कि 2019 में जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण नया लागू किया गया था और ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे थे। तत्काल संदर्भ के लिए, रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 7 का नीचे उद्धरण दिया गया हैः

"**7**. कि विज्ञापन दिनांक 2-8 2019 के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने पद के लिए पात्र होने के कारण आवेदन किया।चूंकि याचिकाकर्ता अधिनियम संख्या 7/2019 की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आवेदन किया, हालांकि उस समय ईडब्ल्यूएस होने के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे थे क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की योजना हाल ही में उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई थी।प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया था।आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि वह सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के से आवेदन कर रहा है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर खंड से संबंधित है, इसलिए उसने अनजाने में 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन किया।"ऑनलाइन माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र की प्रति को इस रिट याचिका के संलग्नक नं. ३ के रूप में दाखिल किया जा रहा है."

13. हमारा संविधान सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसका अनुच्छेद 16 पुनः नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

> **"16. लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता।** (1) राज्य के किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी.
>
> (2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या कार्यालय के लिए अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
>
> (3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास के बारे में कोई अपेक्षा विहित करने वाली कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी।
>
> (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की मत में राज्य से सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
>
> [(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य से सेवाओं में पदों के किसी वर्ग या वर्गों में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की मत में राज्य से सेवाओं

में पर्याप्त नहीं है, पारिणामिक वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]

[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष की ऐसी रिक्तियों पर, जो खंड (4) या खंड (4क) से किए गए आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के पृथक वर्ग के रूप में विचार करने से नहीं रोकेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा अवधारित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसमें यह उपबंध है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था या उसके शासी निकाय के किसी सदस्य के कार्यकलापों के संबंध में पदधारी किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या किसी विशिष्ट संप्रदाय का होने वाला व्यक्ति होगा।

[(6) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम दस प्रतिशत पद अधीन रहते हुए, खंड (4) में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

14. अनुच्छेद 16 (1) और (2) के सामान्य पाठन से यह स्पष्ट है कि सभी नागरिक राज्य के रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता के हकदार हैं और न ही

उन्हें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और न ही राज्य से नियुक्ति के लिए इन आधारों पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। यद्यपि राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य के सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

15. चयन निकाय की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और (2) की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से धारणीय नहीं है। बेशक, याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है, जिसे राज्य के तहत रोजगार के लिए विचार करने का अधिकार है। यदि वह निर्धारित समय के भीतर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है, तो भी उसे अनारक्षित पद के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विचार करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, उसे खुले वर्ग में नियुक्ति के लिए विचार करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

16. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। राज्य विधानमंडल ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 (5) नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:-

> "3 (5) यदि उप-धारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित कोई व्यक्ति, सामान्य उम्मीदवारों के साथ एक खुली

प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चुना जाता है, तो उसे उप-धारा (1) से इस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

17. उपर्युक्त प्रावधान स्थापित कानूनी स्थिति के अनुरूप है कि एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, जो अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध चयनित होता है, उसे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा और उसे अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, भले ही याचिकाकर्ता ने ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, फिर भी उसे योग्यता सूची में अपनी रैंकिंग के कारण एक अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाना चाहिए था.

18. इस मामले का एक और पहलू है। समाज के कमजोर वर्ग का व्यक्ति, जिसे आरक्षण का लाभ उपलब्ध है, उसे उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह उसे तय करना है कि वह आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या नहीं। यदि वह आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो चयन निकाय यदि वह आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो चयनकर्ता निकाय के पास जाति/आर्थिक प्रमाण पत्र न भरने के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है और चयन निकाय अनारक्षित रिक्ति के लिए उसके दावे पर विचार करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, यदि उसकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित पद पर उसका चयन हो जाता है तो उसकी जाति/आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरक्षण सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के उत्थान के लिए सकारात्मक

कार्रवाई का एक रूप है और किसी को भी इस आधार पर उनकी योग्यता/प्रयास के फल से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं किया है।

19. दूसरे शब्दों में, सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति को उसकी उम्मीदवारी को खारिज करके उसकी जाति/आर्थिक प्रमाण पत्र न भरने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

20. उक्त प्रकार मामले को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के पद पर अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करें।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)

Pooja